



## उद्देश्य

# वाहित जल (उत्प्रवाह) शोधन इकाई [शर्करा] के नियमन और प्रभावी संचालन हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला

गंगा के तटीय भागों अथवा अन्य स्थानों पर स्थित शर्करा कारखानों को पूर्व में ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार संचालित करने का निर्देश दिया गया है इसके साथ ही शर्करा कारखानों के संचालन हेतु एक चार्टर तैयार किया गया है। इन नियमों के आधार पर शर्करा कारखानों ने अपने वर्तमान वाहित जल (उत्प्रवाह) शोधन इकाइयों [ETP] के उन्नयन एवं आवर्धन हेतु काफी प्रयास किया है। इसके लिए समय-समय पर इन शर्करा कारखानों के कार्यकारी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं कर्मिकों के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के द्वारा सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया गया है जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जा सके।

सत्र 2018-19 में वाहित जल (उत्प्रवाह) शोधन इकाइयों [ETP] के नियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए कई शर्करा कारखानों की जांच की गई जिसमें पाया गया कि उन कारखानों ने अपने वाहित जल (उत्प्रवाह) शोधन इकाइयों [ETP] का उन्नयन किया है एवं स्वच्छ जल की खपत को कम किया है लेकिन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप नियमित संचालन के लिए इनमें सुधार किया जाना वर्तमान समय की जरूरत है। यह पाया गया है कि अनेक मामलों में शर्करा कारखानों में कार्यरत निचले स्तर के कर्मिक, जो मूलरूप से कारखाने का संचालन करते हैं वे आधुनिक नियमन व्यवस्था से परिचित नहीं हैं एवं उन कारखानों में प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव है।

अतः इन विषयों को ध्यान में रखते हुये, एक तीन दिवसीय गैर-आवासीय कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में, शर्करा कारखानों के कार्यरत अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं कर्मिकों के लिए आयोजित की जा रही है जिससे कि वे वाहित जल (उत्प्रवाह) शोधन इकाइयों [ETP] के कुशल संचालन, प्रतिदिन के विश्लेषण तथा प्रदर्शन मानक का रिकॉर्ड तैयार करने, लॉगबुक आदि के रख-रखाव के साथ-साथ प्रत्येक सत्र में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत विभिन्न संस्थानों द्वारा की जाने वाली तीसरे पक्ष के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक तैयारियों से अवगत करवाया जा सके।

## आयोजन तिथि एवं आयोजन स्थल

- दिनांक : 11 सितंबर से 13 सितंबर 2019 तक
- स्थल : सेमिनार हॉल, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर

## पंजीयन शुल्क एवं आवास सुविधा

- प्रति प्रतिभागी 3000/- रुपये पंजीयन शुल्क पंजीयन प्रपत्र के साथ जमा किया जा सकता है। यह राशि स्वागत कक्ष में "निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर" के नाम कानपुर में भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/ मल्टी सिटी चेक के रूप में भुगतान किया जा सकता है। अथवा इस राशि का भुगतान नन टैक्स रिसीप्ट पोर्टल <http://bharatkosh.gov.in> पर इस कार्यालय ज्ञापन (संलग्न) प्रपत्र के अनुसार जमा किया जा सकता है। तथापि, पंजीयन प्रपत्र को डाक द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर-208017 के नाम से भेजा जा सकता है अथवा फ़ैक्स संख्या 0512-270247 अथवा ई मेल पता: [jps\\_nsi@rediffmail.com](mailto:jps_nsi@rediffmail.com), [nsikanpur@nic.in](mailto:nsikanpur@nic.in) पर भी भेजा जा सकता है।
- संस्थान के द्वारा किसी भी प्रकार की आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करें।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दोपहर का भोजन एवं चाय की व्यवस्था है।

किसी प्रकार के अन्य विवरण के लिए संपर्क करें :

डॉ. वी. पी. श्रीवास्तव  
समन्वयक  
(09919052174)

जे. पी. श्रीवास्तव  
संयोजक  
(08853100124)

**THREE DAYS WORKSHOP  
AT  
NATIONAL SUGAR INSTITUTE, KANPUR**

**REGISTRATION FORM**

**(Please mail the form so as to reach us on or before 9<sup>th</sup> September 2019)**

1. Name.....
2. Address.....
- .....
3. Name and Address of sponsoring company.....
- .....
4. Sex: Male  Female
5. Age.....
6. Telephone No.....
7. Mobile No.....
8. Fax No.....
9. E-mail id.....
10. Professional Qualification.....
11. Present Post Held.....
12. Registration fees is enclosed vide
  - a. DD No..... Date..... Amount Rs..... Bank.....
  - OR
  - b. Receipt of fee deposited through NTR portal

\* The above fees is to be submitted in A/c payee Drafts / MCC in the name of "Director, National Sugar Institute", payable at Kanpur.

**Signature of the Participant**

**Signature of the Sponsoring Authority with seal**

- Note :**
1. Photocopies of the form may be used if needed.
  2. Scanned copy of this filled registration form may be sent by email to email ID : jps\_nsi@rediffmail.com for quick assessment.
  3. This is a non-residential training programme. Participants will make their own stay arrangement .
  4. Every day lunch & tea will be provided during training programme.



फाइल सं० Bharatkosh/Acctt./2017-18

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

**NATIONAL SUGAR INSTITUTE**

एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

An ISO 9001:2015 Certified Institute

उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

Department of Food & Public Distribution

(भारत सरकार)

Government of India

कल्यानपुर, कानपुर

Kalyanpur, Kanpur

दिनांक / Dated: 27.06.2019

## **OFFICE MEMORANDUM**

This is to inform that for availing the services of the Institute, schedule charges/fee etc. may be deposited through Non Tax Receipt Portal available at <https://bharatkosh.gov.in> wherein mapping of National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution is available with the instructions to follow for depositing the schedule fees. The details of services covered under NTRP are as under:-

- 1- Admission fee to NSI, Kanpur
- 2- Advisory fee to NSI, Kanpur for other State
- 3- Advisory fee to NSI, Kanpur for UP State Only
- 4- Purchase of Prospectus from NSI, Kanpur
- 5- Purchase of Sugar Standard from NSI Kanpur for UP State only
- 6- Purchase of Sugar Standard for other State (NSI, Kanpur)
- 7- Rent to NSI above Rs. 1000/-
- 8- Rent to NSI up to Rs. 1000/-
- 9- Sale of Scrap and Farm Products from NSI, Kanpur
- 10- Sale of Tender forms for NSI, Kanpur
- 11- Testing fee to NSI, Kanpur for other States
- 12- Testing fee to NSI, Kanpur UP State only

Following procedure may be followed for availing the above mentioned services of NSI, Kanpur.

- (i) Open NTR Portal at <https://bharatkosh.gov.in>



- (ii) Go to Non – Registered Users, if any Individual/ Corporate etc. is registered then follow accordingly.
- (iii) Fill up the name of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.
- (iv) Fill up the name of services of NSI, Kanpur wants to avail by the individual/ corporate etc.
- (v) Fill up all required details given on the portal.
- (vi) Submit the details for next step.
- (vii) Fill up the details of depositor, services to be availed etc. as per details given on the portal.
- (viii) Submit all details for the next step.
- (ix) Transfer required amount through NEFT/ RTGS as per details available on the portal.
- (x) Print out the receipt/ transaction details and send to NSI, Kanpur.

*Sd*

**(Jitendra Singh)**  
Asstt. Prof. of Sugar Technology &  
Senior Administrative Officer

Copy to:-

1. Shri Naveen Kumar Verma, Sr. Account Officer, PAO (Food), Govt. of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevandeep Building, Parliament Street, New Delhi – 110001 with reference to your e – mail dated 12<sup>th</sup> June, 2019 for information.
2. Shri Anurag Kumar, Under Secretary (SA), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi – 110001 for information.
3. All Notice Board
4. S&I Division for necessary action
5. Education Section for necessary action
6. B.S.S. for necessary action
7. All Head of divisions for necessary action
8. All Stores
9. Nodal Officer for uploading on Institute's website
10. PA to Director
11. PA to SAO
12. Vigilance Officer
13. Drawing & Disbursing Officer for necessary action
14. Cashier for necessary action
15. A.A.O.

*Jitendra Singh*  
27/6/19

**(Jitendra Singh)**  
Asstt. Prof. of Sugar Technology &  
Senior Administrative Officer